


तारीख
हुकम

04 10
21

वरुनाथ उप०। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल
अपील संख्या 52/2021 फैसल हो जाने से
अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य रही
रहने से प्रार्थना पत्र खारिज बिषा जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर खारिज क्स्तर
हो।


(डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी)
कलेक्टर, नागौर

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

